

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स नज

उनवान <sup>पुण्या</sup> ~~सुखर~~ बनाम ... ~~देवरी देवी वगैरे~~ ...  
वेदखली व खाती निवेदाखा

नंबर व  
अहकाम  
हुकम की  
में जारी

28<sup>9</sup>  
21

गवारे

वि.पु.गा

सीतारामजी

वि.पु.गा

मुकदमा नं० ..... 154/21 ..... निर्णय दि० 28.9.21

पत्रावली पेठा साक्ष्य वादी पेठा। कल दावा सुनी गयी।  
वाड अनुसार वादीगण पुण्या व रामसहाय की खातेदारी  
भूमी ग्राम गहोरा के खाता सं. 286 व 103 में स्थित  
हैं।

वादीगण की भूमी पर उत्त. सं. उताड रामशिखोर -  
रामकरण - रमेशा वि. कडी जाति मीणा काबिज करत हैं।  
वादीगण का वाड उत्त. सं. उताड की वेदखली वाकत हैं।  
दीराने कलस वादीपक्षा ने समझ लिया कि अर्था पहले दोनों  
परिवारों ने भूमी की मौखिक सहमति से अदला बदली  
की थी।

उत्त.वादी उताड अपनी सहमति से मुक्त गये व दोनों स्थानों  
पर काबिज हो गये।

उत्त.वादीगण वावपूड नोटिस तामील नहीं करवाने के  
कारण उनके विरुद्ध एकरफा कार्यवाही अमल लायी  
गयी।

उत्त.वादीगण उताड रामशिखोर - रामकरण - रमेशा वि.  
कडी जाति मीणा जै, वादीगण की खातेदारी भूमी  
ग्राम गहोरा के खाता सं. 286 व 103 से वेदखल करने  
हेतु, तहसीलदार सिमराय को आदेशित किया जात है।  
तहसीलदार आवश्यक होने पर पुलिस बल का सहयोग  
प्राप्त करे।

उत्त. सं. उताड को वादीगण की भूमी में हस्तक्षेप  
नहीं करने वाकत पाकट किया जावा है।  
वेदखली उपरांत वादीगण तक्रामा वाड पृथक से  
लाने हेतु स्वतंत्र हैं।

मुआविक आदेश डिप्टी व तहसीर जारी होकर  
पत्रावली फैसल शुमार हो।

(राजेश सिंह)  
28.9.21

उपखण्ड अधिकारी  
सिकंदर